माननीय न्यायमूर्ति जे. एस. नारंग के समक्ष

देवेंद्र- याचिककर्ता

बनाम

चुनाव न्यायाधिकरण-सह-सिविल न्यायाधीश (जे.डी.), बहादुरगढ़ और अन्य- उत्तरवादी .

C.R. NO. 5639 OF 2001

25th July, 2003

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 176(4)(b)- हरियाणा पंचायती राज नियम, 1994 – नियम 66, 69 और 70 - पंचायत समिति के चुनाव - याचिकाकर्ता को असफल घोषित किया गया - परिणाम की घोषणा के बाद याचिकाकर्ता ने वोटों की फिर से गिनती की मांग करते हुए आवेदन किया - निर्वाचन अधिकारी ने केवल इस आधार पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया कि हर कोई मतगणना स्थल से बाहर निकल गया था – नियम 69 में प्रावधान है कि परिणाम की घोषणा के बाद वोटों की पुनर्गणना के लिए आवेदन विचार योग्य होगा।-परिणाम की घोषणा के बाद, लेकिन इसे अधिसूचित करने से पहले उम्मीदवारों को एक अवसर दिया जाना आवश्यक है -2 निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई अवसर नहीं दिया गया है - ट्रायल कोर्ट भी आरआई की जांच करने में विफल रहा है। 69 और याचिकाकर्ता के अनुरोध को गलत तरीके से अस्वीकार करना - निर्वाचन अधिकारी के आदेश ने पुनर्मतगणना के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, याचिका ने निर्वाचन अधिकारी को वोटों की पुनर्मतगणना करने का निर्देश देने की अनुमति दी।

यह अभिनिर्धारित किया गया की, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि परिणाम की घोषणा के बाद, पुनर्मतगणना की मांग के लिए उनके द्वारा आवेदन दायर किया गया था। लेकिन दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तथ्यों से, यह स्पष्ट नहीं है कि

परिणाम किस समय घोषित किया गया था, डेहोर्स ने कहा कि आवेदन परिणाम की घोषणा के बाद दायर किया गया था, जिसके तहत पुनर्मतगणना के लिए कहा गया है कि कुछ अनियमितताएं की गई हैं। इस प्रकार, नियम 69 के आधार पर, निर्वाचन अधिकारी को सफल उम्मीदवार को अवसर देने के बाद इस आवेदन पर निर्णय लेने का दायित्व था। यह दलील कि हर शरीर ने छोड़ दिया है, का कोई मतलब नहीं है। प्रतिपादित सिद्धांत यह है कि परिणाम की घोषणा के बाद लेकिन उसे अधिसूचित करने से पहले, उप नियम 2 के तहत परिकल्पित अवसर उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए। नियम 69 में दिए गए परंतुक में इस अधिकार पर जोर दिया गया है। बेशक, निर्वाचन अधिकारी द्वारा उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, इस तथ्य की जांच नहीं की गई है और न ही इस प्रावधान यानी पूर्वनिर्धारित नियम पर ट्रायल कोर्ट द्वारा चर्चा या उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए पुनर्मतगणना के अनुरोध को अस्वीकार करने में निर्वाचन अधिकारी का आदेश टिकाऊ नहीं है। इस प्रकार, नियमों के नियम 69 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 176 (4) (बी) के तहत परिकल्पित पुनर्मतगणना का अधिकार तथ्यों की समग्रता और रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध है, मेरा विचार है कि चुनाव याचिका स्वीकार किए जाने के योग्य है।

(पैरा 16)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरके गुप्ता।

प्रतिवादी नंबर 2 के लिए कुलबीर नरवाल, अधिवक्ता

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति जे. एस. नारंग

1. पंचायत समिति, बहादुरगढ़ का चुनाव अधिसूचित कर दिया गया था और यह 12 मार्च, 2000 को होने वाला था। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 से 7 ने वार्ड नंबर 1, बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ा था। मतगणना 18 मार्च, 2000 को अग्रवाल धर्मशाला, बहादुरगढ़ में आयोजित की गई थी। डाले गए मतों का विवरण और उनसे पाए गए अवैध मतों और वैध मतों का विवरण निम्नानुसार है :—

   कुल वोट: 3570

   वोट अवैध पाए गए: 73

   वैध वोट: 3497

2. याचिकाकर्ता को असफल घोषित कर दिया गया और परिणामस्वरूप उसने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 176 (4) (बी) के तहत एक चुनाव याचिका दायर की (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) वोटों की फिर से गिनती की मांग करने के लिए एक विशिष्ट प्रार्थना के साथ। याचिकाकर्ता द्वारा यह दलील दी गई है कि पहली बार में, उन्हें एक वोट से निर्वाचित घोषित किया गया था। हालांकि, बाद में, मतगणना कर्मचारियों ने चंदर सिंह, पुत्र मांगे राम, प्रतिवादी नंबर 2 के साथ मिलकर मतगणना मामलों में हेरफेर किया और कुछ अवैध वोटों को जोड़कर, प्रतिवादी नंबर 2 को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। याचिका में, केवल यह अनुरोध किया गया है कि याचिका को स्वीकार किया जाए और वोटों की पुनर्गणना का आदेश देकर, उचित परिणाम घोषित किया जाए और याचिकाकर्ता द्वारा ली गई दलीलों के आधार पर, प्रतिवादी नंबर 2 को हटाना होगा और याचिकाकर्ता निर्वाचित होने का हकदार होगा। यह स्वीकार किया गया मामला है कि चुनाव को किसी अन्य आधार पर चुनौती नहीं दी गई है। नोटिस पर, प्रतिवादी नंबर 2 ने लिखित बयान दायर किया,-जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कथित कथनों का

जोरदार खंडन किया गया है। अन्य प्रतिवादियों ने कोई लिखित बयान दायर नहीं किया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा ली गई दलीलों को स्वीकार कर लिया है और वास्तव में पुनर्मतगणना की याचिका पर लिखित या मौखिक रूप से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है।

3. दोनों पक्षों की दलीलों पर, मुद्दे तैयार किए गए हैं और दोनों पक्षों ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का नेतृत्व किया है। याचिकाकर्ता ने चार गवाहों से पूछताछ की और दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तीन गवाहों से पूछताछ की। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने 794 वोट हासिल किए, जबकि प्रतिवादी नंबर 2 ने 793 वोट हासिल किए, इस तरह, वह सफल रहा और तदनुसार चुनाव जीता था। आगे यह आरोप लगाया गया है कि बाद में, प्रतिवादी नंबर 2 और अधिकारियों के बीच मिलीभगत पर, प्रतिवादी नंबर 2 को 28 वोटों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया और उसके पक्ष में डाले गए वोटों को 793 के मुकाबले 821 दिखाया गया है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता निर्वाचन ऑफिसर के समक्ष पेश हुए थे और वोटों की फिर से गिनती की मांग के लिए लिखित में अनुरोध किया गया था, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। आवेदन मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि यह परिणाम की घोषणा के बाद दायर किया गया है और प्रभावित पक्षों की अनुपस्थिति में, ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। मतों की पुन गणना के लिए आवेदन 18 मार्च, 2000 को प्राप्त हुआ था, परिणाम पत्रक को प्रदर्शनी पी-1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अस्वीकृति के क्रम को प्रदर्शनी पी -2 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। निर्वाचन आयुक्त को संबोधित एक पत्र को पूर्व पी-3 के रूप में प्रदर्शित किया गया है और इसे स्थापित करने के लिए डाक रसीद को डाक एजेंसी के माध्यम से भेजा गया है। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने कुछ दस्तावेज पेश किए हैं जैसे रामदेई, चंद्रो, लाजो देवी, मूर्ति और मेवा देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र, जिन्हें क्रमशः प्रदर्शनी आर -1 से आर -5 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

4. ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 23 अगस्त, 2001 के फैसले के तहत चुनाव याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य रूप से, नियम, अर्थात, मतपत्र की गोपनीयता का संरक्षण पवित्र सिद्धांत है जिसे हल्के या जल्दबाजी में नहीं तोड़ा जाना चाहिए जब तक कि प्रथम दृष्टया वास्तविक मामला नहीं बनता है। निचली अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह नहीं बता पाया है कि उसके पक्ष में पड़े कितने मतों को अवैध घोषित किया गया है, लेकिन परिणाम की घोषणा के अनुसार केवल 73 मतों को अवैध घोषित किया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि वह खुद और उनके एजेंट मतगणना के समय मौजूद थे और वे उस समय भी मौजूद थे जब तीन स्थानों पर मतदान हुआ था, हालांकि, उन्होंने परिणाम पत्रक पर अपने हस्ताक्षर नहीं लगाए थे। दूसरी ओर, प्रतिवादी अपने स्वयं के गवाह के रूप में पेश हुआ और उसने कहा कि मतगणना वैध और सही तरीके से हुई और याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा ली गई एकमात्र दलील यह है कि वास्तव में उसे एक वोट से निर्वाचित घोषित किया गया था और बाद में, प्रतिवादी नंबर 2 को 28 वोटों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया था और जाहिर है कि परिणाम घोषित होने के बाद जोड़तोड़ की गई थी। यह माना गया है कि याचिकाकर्ता यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 2 के साथ मिलकर अधिकारियों द्वारा किस प्रकार की अनियमितताएं या अवैधताएं की गई हैं। यह माना गया है कि आरोप और दलीलें पूरी तरह से अस्पष्ट हैं और इस तरह की अस्पष्ट दलीलों के आधार पर पुनर्मतगणना की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह भी देखा गया है कि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करते समय, कोई याचिका नहीं ली गई है, लेकिन पुनर्मतगणना के लिए स्पष्ट अनुरोध किया गया है, जिसे सही ढंग से खारिज कर दिया गया है क्योंकि परिणाम घोषित होने के बाद इसे दायर किया गया था। नतीजतन, पुनर्मतगणना की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया है।

5. उपरोक्त निर्णय से असंतुष्ट, वर्तमान याचिका दायर की गई है। प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी और 1 मई, 2002 को एच एस बेदी, जे द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जो निम्नानुसार है:—

"पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा वोटों की फिर से गिनती के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था। मतगणना के दिन भी उन्होंने मतों की दोबारा गिनती के लिए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि परिणाम घोषित कर दिया गया है और इस बीच चुनाव के पक्षकार परिसर से चले गए हैं। इसके अलावा, चुनाव याचिका और ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए सबूतों में यह आया है कि चुनाव और वोटों की गिनती के दौरान गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे।

इस मामले को देखते हुए यह उचित होगा कि मतों की फिर से गिनती की जाए। पार्टियों को चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है, जो सभी संबंधितों को संबद्ध करने के बाद, वोटों की फिर से गिनती करेगा और आज से दो महीने के भीतर इस न्यायालय को परिणाम प्रस्तुत करेगा।

12 सितंबर, 2002 तक स्थगित.

आदेश दस्ती। (Sd.).....

1st मई , 2002. (न्यायाधीश एच.एस. बेदी)।

6. इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय बनाया गया था। छुट्टी दे दी गई थी और उपरोक्त आदेश को रद्द कर दिया गया था और वर्तमान संशोधन को तीन महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया गया है। आदेश निम्नानुसार है:-

" छुट्टी दी गई।

यह अपील सिविल पुनरीक्षण संख्या 5639/2001 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है।.

पुनरीक्षण याचिका पुनर्मतगणना के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। वह संशोधन जिस पर विचार किया गया है, लंबित है। पुनरीक्षण लंबित रहने के दौरान उच्च न्यायालय ने पुनर्मतगणना जारी रखने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने इस अदालत का रुख किया है.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यदि पुनरीक्षण लंबित रहने के दौरान पुनर्मतगणना के निर्देश का अनुपालन किया जाता है तो संशोधन अपने आप में निरर्थक होगा। हमें उसी में पर्याप्त बल मिलता है। हम उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हैं। अपील की अनुमति दी जाती है।.

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वे लंबित पुनरीक्षण का शीघ्र निपटान करें, अधिमानतः आज से तीन महीने के भीतर।

(Sd.) CJI

(Sd.) . . .,

(के.जी.बालकृष्णन),

न्यायाधीश

.

नई दिल्ली ,

22nd नवंबर , 2002.

(एसबी सिन्हा

न्यायमूर्ति),

7. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि यह न्यायालय आश्वस्त था कि वोटों की पुनर्गणना का आदेश दिया जाना चाहिए था और वास्तव में, ऐसा आदेश पारित किया गया था, जैसा कि ऊपर देखा गया है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस आधार पर आदेश को रद्द कर दिया है कि यदि इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार, पुनर्मतगणना का अनुपालन किया जाता है, संशोधन निरर्थक हो जाएगा। तर्क का जोर यह रहा है कि एक अंतरिम आदेश द्वारा पुनर्मतगणना का आदेश देकर, चुनाव याचिका को अनुमति दी गई मानी जाएगी क्योंकि यह एकमात्र अनुरोध है जो चुनाव याचिका के माध्यम से किया गया है, जिसे मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 176 (4) (बी) के तहत दायर किया गया है।इस प्रकार, याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करके याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाना चाहिए।

8. आगे यह तर्क दिया गया है कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि इसे ईमानदारी और लगन से पारित नहीं किया गया है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि प्रदर्शनों के अवलोकन से पता चलता है कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा दो आदेश पारित किए गए हैं, यह समझ में नहीं आता है कि जब आवेदन का निपटान शाम 6.30 बजे किया जा रहा था,

तो दूसरा आदेश पारित करने की आवश्यकता कहां थी। निर्वाचन अधिकारी की ओर से यह कृत्य आदेश की प्रामाणिकता में संदेह पैदा करता है और इसके विपरीत याचिकाकर्ता की दलील की पुष्टि करता है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित याचिका पुनर्मतगणना का आदेश देने के लिए पर्याप्त है क्योंकि प्रावधान के अवलोकन के रूप में, यानी, धारा 176 (4) (ए) और (4) (बी) से पता चलता है कि पहली स्थिति में, यानी, खंड (ए) के तहत, ट्रिब्यूनल जांच करने के लिए बाध्य है, जबकि, खंड के तहत (b),ऐसे किसी शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि यदि पार्टियों की दलीलों पर पुनर्मतगणना की जाती है, तो याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए और पुनर्मतगणना का आदेश दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त दोनों प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा जो निम्नानुसार पढ़े गए हैं।:—

"176. न्यायाधीश और प्रक्रिया द्वारा चुनाव जांच की वैधता का निर्धारण.

(1)**

(2)**

(3)**

(4) (a) यदि ऐसी जांच करने पर सिविल न्यायालय यह पाता है कि किसी उम्मीदवार ने चुनाव के उद्देश्य से उपधारा (5) के अर्थ के भीतर भ्रष्ट आचरण किया है, तो वह चुनाव को रद्द कर देगा और उम्मीदवार को चुनाव के उद्देश्य से अयोग्य घोषित करेगा और नए सिरे से चुनाव कराया जा सकता है।-

(b) यदि, किसी ऐसे मामले में, जिस पर खंड (क) लागू नहीं होता है, चुनाव की वैधता दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के बीच विवाद में है, तो न्यायालय प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज मतों की जांच और गणना के बाद, उस उम्मीदवार की घोषणा करेगा जिसके पक्ष में सबसे अधिक वैध वोट पाए जाते हैं, विधिवत निर्वाचित होना।

बशर्ते कि ऐसी गणना के बाद, यदि कोई हो, किसी उम्मीदवार के बीच वोटों की समानता मौजूद पाई जाती है और एक वोट जोड़ने से कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होने का हकदार हो जाएगा, तो ऐसे उम्मीदवार या उम्मीदवारों के पक्ष में प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या में एक अतिरिक्त वोट जोड़ा जाएगा, जैसा भी मामला हो, न्यायाधीश की उपस्थिति में लूत द्वारा चुने गए तरीके से चुने गए, जैसा कि वह निर्धारित कर सकता है।"

9. अपने तर्क के समर्थन में, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ की उक्ति पर भरोसा किया गया है: **राधा किशन बनाम चुनाव न्यायाधिकरण-सह-उप-न्यायाधीश, हिसार और एक अन्य**[1] - जिसके तहत धारा 176 (4) (बी) के संबंध में उपरोक्त खंडों की विशेष जोर के साथ व्याख्या की गई है। यह देखा गया है कि यदि कोई पक्ष वोटों की फिर से गिनती के लिए सहमति देता है, तो उक्त पार्टी को इस आधार पर उस आदेश की शुद्धता को चुनौती देने से रोक दिया जाएगा कि सहमति वाला आदेश कानून के तहत अनुचित है या

[1] 1999 (2) PLJ 78

अन्यथा। अधिनियम की धारा 176 (4) (बी) की प्रकृति और दायरे के संबंध में कानूनी विवाद सुलझा लिया गया है और यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि अदालत इस कारण से पूर्वनिर्धारित राहत को अस्वीकार करने में उचित नहीं होगी कि आवेदक को विस्तृत जांच के माध्यम से साक्ष्य का नेतृत्व करना चाहिए क्योंकि इस तरह की जांच उपरोक्त प्रावधान के दायरे में नहीं है और न ही आवश्यक होगी। पूर्ण पीठ (सुप्रा) की टिप्पणी और आदेश को नोटिस करना उचित होगा जो निम्नानुसार है . ..

> "24. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के मद्देनजर, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, हमारा सुविचारित विचार है कि मतों की पुनर्गणना के लिए सहमति देने वाले पक्ष को इस आधार पर उस आदेश की शुद्धता को चुनौती देने से रोका जाएगा कि सहमति वाला आदेश कानून में अनुचित है या अन्यथा। उप-धारा 4 (बी) के सीमित दायरे को ध्यान में रखते हुए इस तरह के सहमति आदेश की वैधता शायद ही हमले के लिए खुली होगी और विशेष रूप से जब ऐसा आदेश अन्यथा मामले के गुण-दोष पर अदालत द्वारा पारित किया जा सकता है। सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में निहित शक्ति का उपयोग हमेशा पार्टियों की सहमति पर किया जा सकता है, जब तक कि अदालत के पास प्रार्थना की गई राहत को अस्वीकार करने का कोई वैध कारण न हो। राधा किशन के मामले में, हम याचिकाकर्ता को आदेश को रद्द करने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि वह इसके लिए सहमत थे और इस तरह की जांच और गणना के लिए उनके द्वारा एक निश्चित सहमति दी गई थी। लागू किया गया आदेश कुछ

और नहीं बल्कि वैध वोटों की इस तरह की पुनर्मतगणना के परिणाम हैं।

38. उपर्युक्त चर्चा का समग्र प्रभाव हमें अधिनियम की धारा 176 (4) (बी) की प्रकृति और दायरे के संबंध में कानूनी विवाद को निपटाने के लिए प्रेरित करता है::

ऊपर दर्ज कारणों के संबंध में, हम इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा अपनाए गए किसी भी अतिवादी दृष्टिकोण से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं जो न्यायालय ने सुनहरी देवी बनाम नारायण देवी, (CWP 6381 of 1995, decided on 20th October, 1995) and भारत सिंह बनाम दलीप सिंह और अन्य, (CWP 9671 of 1995 decided on 6th October), 1995 (1995 Pl J 583). हम इस अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मध्य मार्ग और व्यावहारिक उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना पसंद करेंगे। वोटों की पुनर्गणना द्वारा जांच और गणना ऐसे चुनावों में अक्सर उत्पन्न होती है। भ्रष्ट आचरण या अन्य आरोपों की निंदा करने वाले इस तरह के अनुरोध प्रथम दृष्टया अधिनियम की धारा 176 (4) (बी) के दायरे में एक आदेश पारित करने को उचित ठहरा सकते हैं। किसी याचिका के शीघ्र निपटान और विस्तृत जांच के बिना जांच और गणना का आदेश पारित करने की आवश्यकता वाला विधायी इरादा इन प्रावधानों की भाषा में स्पष्ट है। धारा की भाषा पर अनावश्यक जोर दिए बिना और कानून को उन मामलों में उत्पन्न होने वाली स्थितियों के लिए अतिसंवेदनशील बनाने के लिए जिन पर ऐसे प्रावधान लागू होते हैं और भ्रम की संभावना को बहिष्कृत करने के इरादे से हम धारा की

व्याख्या इसके संचयी पठन और अधिनियम की योजना के साथ संश्लेषण में करेंगे,

एर्गो, हम मानते हैं कि इस तरह के चुनाव में वोटों की फिर से गिनती केवल पूछने और नियमित तरीके से निर्देशित नहीं की जा सकती है। आवेदक, यदि स्पष्ट विवरणों द्वारा समर्थित सत्यापन पर निश्चित बयान देता है, तो कानून के अनुसार, दस्तावेजों द्वारा समर्थित, यदि कोई हो, और जहां आवेदक न्यायालय की संतुष्टि के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाता है, तो न्यायालय को अधिनियम की धारा 176 (4) (बी) के प्रतिबंधित दायरे में आने वाले मामलों में पुनर्मतगणना पर वोटों की जांच और गणना का आदेश देने से कोई नहीं रोकता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय इस तरह की राहत को अस्वीकार करने में उचित नहीं होगा क्योंकि आवेदक, उपरोक्त के बावजूद, विस्तृत जांच के माध्यम से साक्ष्य का नेतृत्व करना चाहिए। इस तरह की विस्तृत जांच न तो निर्धारित की गई है और न ही संदर्भित सीमित मामलों में उक्त प्रावधानों के दायरे में आवश्यक होगी।."

10. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय के आदेश और प्रावधानों को स्पष्ट तरीके से व्याख्या किए जाने के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को याचिका के समर्थन में सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं थी। चुनाव याचिका में उल्लिखित दलीलों के अवलोकन से यह पता चलता है कि प्रथम दृष्टया पुनर्मतगणना का मामला बनता है। हालांकि, चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति दी गई है, जो पुनर्मतगणना की याचिका की पुष्टि करता है। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि निर्वाचन अधिकारी ने मेहनती और ईमानदार तरीके से काम नहीं किया है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर दो आदेश पारित किए गए हैं, दो आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं था। इसका अवलोकन करने पर पुनर्मतगणना की मांग को लेकर

संदेह पैदा हो जाएगा। उक्त दो आदेशों को नोटिस करना उचित होगा जो निम्नानुसार पढ़े गए हैं:—

"परिणाम की घोषणा के बाद शाम 6.30 बजे प्राप्त हुआ। विस्तृत आदेश उल्टे/नीचे दिया गया है।

18th March, 2000

6.30 P.M.

R.O. (P.S.)"

"आवेदक ने शाम 6.30 बजे पुनर्मतगणना के अनुरोध के साथ संपर्क किया जब पूरे पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए मतगणना समाप्त हो गई थी। मतगणना 18 मार्च, 2000 को सुबह ठीक 800 बजे शुरू की गई थी। पीएस के वार्ड नंबर 1 को पहले लिया गया था और उसके बाद अन्य वार्डों को लिया गया था। इस स्तर पर, जब अन्य इच्छुक दल अर्थात सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने-अपने परिणामों को नोट करने के बाद मतगणना हॉल से चले गए हैं, तो प्रभावित दलों, विशेष रूप से विजेता की अनुपस्थिति में पुनर्मतगणना के लिए जाना उचित नहीं है। आवेदक हारा हुआ है और नंबर 2 पर खड़ा है। यह अनुरोध स्वीकार करने का मंच नहीं है। इसलिए खारिज कर दिया गया।

(Sd.)

18th March, 2000

6.45 P.M.

(SDO/C B.Garh) cum-

R.O.P.S.B. Garh."

11. पूर्वोक्त दूसरे आदेश को प्रदर्शनी पी-2 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

12. दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पुनर्मतगणना के लिए मामला बनाने में सक्षम नहीं है। यह स्थापित कानून है कि धारा 176 (4) (बी) के तहत पुनर्मतगणना की मांग करने के लिए, याचिकाकर्ता को पुनर्मतगणना की मांग करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाना होगा। इस मामले में, ट्रायल कोर्ट दलीलों से संतुष्ट नहीं था, लेकिन न्याय और इक्विटी के हित में, मुद्दों को तैयार किया गया था और पार्टियों को सबूत पेश करने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता को यह अवसर दिए जाने के बावजूद, पुनर्मतगणना की याचिका को प्रमाणित करने और पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत नहीं लाया गया है। परिणाम घोषित किया गया था और उक्त दस्तावेज को प्रदर्शनी पी 1 के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिसके द्वारा यह पुष्टि की गई है कि कुल वोट 3570 थे, जबकि, चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी, यानी चंदर सिंह द्वारा डाले गए वोट 821 थे और याचिकाकर्ता को 793 वोट मिले थे। यह स्वीकार किया गया मामला है कि 73 मतों को अवैध घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता का मामला कहीं भी नहीं है कि एक विशेष संख्या में वोटों को गलत तरीके से अमान्य घोषित किया गया था और जो वास्तव में याचिकाकर्ता के पक्ष में गिना जा सकता था और गिना जाना चाहिए था। याचिका को अस्पष्ट और कानून के तहत टिकाऊ नहीं माना गया है। याचिकाकर्ता जिरह में स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया कि कितने मत गलत तरीके से खारिज कर दिए गए थे, जो वास्तव में याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए थे।

इस प्रकार, पुनर्मतगणना की मांग के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं कहा जा सकता है। चुनावी जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और इसे हारे हुए उम्मीदवार के पूछने पर संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। यह स्थापित कानून है कि याचिकाकर्ता को पुनर्मतगणना की मांग करने के लिए मामला बनाना होगा। इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल पूछने पर और नियमित तरीके से मतों की पुनर्गणना का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। जो व्यक्ति इस तरह की पुनर्मतगणना की मांग करता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सत्यापन पर निश्चित स्पष्टीकरण देगा, कानून के अनुसार, दस्तावेजों द्वारा समर्थित, यदि कोई हो, और अदालत की संतुष्टि के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाएगा। हालांकि, पुनर्मतगणना पर वोटों की जांच और गणना का आदेश देने में अदालत को कुछ भी नहीं रोकता है, अगर याचिकाएं अधिनियम की धारा 176 (4) (बी) के प्रतिबंधित दायरे में आती हैं। दलीलों के अवलोकन से पता चलता है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहते हुए हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया कि याचिका अस्पष्ट है और पुनर्मतगणना की मांग करने के लिए कोई योग्यता नहीं है।

13. दलीलों और सबूतों वाले रिकॉर्ड के अवलोकन और पक्षकारों के विद्वान वकीलों की संबंधित दलीलों को सुनने और मेरे विचारशील विचार देने के बाद, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता पुनर्मतगणना की मांग के लिए प्रथम दृष्टया मामला बताने में सफल रहा है।

14. यह स्वीकार किया गया मामला है कि कुल 3570 वोट डाले गए थे और वैध वोटों को 3497 के रूप में बताया गया है और अवैध पाए गए वोटों को 73 बताया गया है। यह दोनों पक्षों का स्वीकार किया गया मामला है कि उन्होंने निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित अवैध मतों की गिनती नहीं रखी, लेकिन इसे केवल

परिणाम पत्र पर घोषित किया गया है। यदि किसी भी पार्टी ने उनके या उनके एजेंटों के सामने घोषित अवैध वोटों का ट्रैक रखा होता, तो परिणाम पत्र में उल्लिखित अवैध वोटों का तथ्य अलग हो सकता था। याचिकाकर्ता की यह दलील कि उसने एक वोट से चुनाव जीता था, भी अवैध मतों की संख्या स्पष्ट रूप से पता चलने की स्थिति में सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। परिणाम पत्रक प्रदर्शनी पी 1 के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें याचिकाकर्ता और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और या उनके एजेंटों के हस्ताक्षर नहीं हैं। पुनर्मतगणना की मांग के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन से पता चलता है कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा दो अनुमोदन किए गए हैं। यह बताया गया है कि परिणाम की घोषणा के बाद आवेदन शाम 6.30 बजे प्राप्त हुआ था और आगे समर्थन यह है कि विस्तृत आदेश उल्टा / नीचे है। दूसरा आदेश लिखा गया है और तर्क दिया गया है, एकमात्र दलील यह है कि अन्य इच्छुक पार्टियां यानी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार संबंधित परिणामों को नोट करने के बाद मतगणना हॉल से चले गए हैं, इसलिए, प्रभावित दलों, विशेष रूप से विजेता की अनुपस्थिति में पुनर्मतगणना के लिए जाना उचित नहीं होगा। इस प्रकार, आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। एंडोर्समेंट प्रदर्शनी पी-2 को शाम 6.45 बजे किया गया दिखाया गया है। इस बात का कोई कारण सामने नहीं आ रहा है कि दो आदेश क्यों पारित किए गए हैं, यदि आवेदन शाम 6.30 बजे प्राप्त हुआ था, तो अस्वीकृति के आदेश वहां और फिर पारित किए जा सकते थे। दो समर्थन करने की आवश्यकता स्पष्ट नहीं है और न ही किसी भी मोड द्वारा समझाया गया है। ऐसा लगता है कि निर्वाचन अधिकारी खुद के बारे में बहुत निश्चित नहीं थे और दूसरे आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि कई प्रक्षेप और इंटरलाइनेशन हैं। इस प्रकार, यह अधिनियम संदेह से परे नहीं है, परिणाम पत्र में किसी भी उम्मीदवार के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही किसी अन्य दस्तावेज को यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर रखा गया है कि परिणाम घोषित किया गया था और इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा नोट और

प्रतिहस्ताक्षरित किया गया था। वोटों की गिनती और वोटों की पुनर्गणना की मांग हरियाणा पंचायती राज नियम, 1994 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) के तहत शासित होती है और नियमों के नियम 66, 69 और 70 का एक विशिष्ट संदर्भ दिया जा सकता है, जो निम्नानुसार है।:-

"66. वोटों की गिनती.- (I) प्रत्येक मतपत्र जो नियम 65 के तहत अस्वीकार नहीं किया गया है, उसकी गणना की जाएगी।:

बशर्ते कि निविदा मतपत्रों वाला कोई कवर नहीं खोला जाएगा और ऐसे किसी पेपर की गणना नहीं की जाएगी।.

2. सभी मतपेटियों में निहित सभी मतपत्रों की गिनती पूरी हो जाने के बाद, निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी, पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के लिए फॉर्म 14, 15, 16 और 17 में परिणाम पत्र में प्रविष्टियां करेंगे और विवरण की घोषणा करेंगे।.

3. इसके बाद वैध मतपत्रों को एक साथ बंडल किया जाएगा और अस्वीकृत मतपत्रों के बंडल के साथ एक अलग पैकेट में रखा जाएगा, जिसे सील कर दिया जाएगा और जिस पर निम्नलिखित विवरण दर्ज किए जाएंगे, अर्थात्:

a) ग्राम पंचायत के पंच के चुनाव के मामले में वार्ड की संख्या और गांव का नाम, सरपंच के चुनाव के मामले में गांव का नाम या पंचायत समिति या जिला परिषद के वार्ड की संख्या, जैसा भी मामला हो, पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव के मामले में ;

b) उस मतदान केंद्र का विवरण जहां मतपत्रों का उपयोग किया गया है; और

c) मतगणना की तारीख."

15. पुनर्मतगणना के अधिकार को नियम 69 के तहत निपटाया गया है जो निम्नानुसार हैः—

"69. वोटों की दोबारा गिनती. (1) मतगणना पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उनके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को नियम 66 के उप-नियम (2) में उल्लिखित प्रपत्रों में परिणाम पत्रक में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए डाले गए मतों की कुल संख्या दर्ज करनी होगी और इसकी घोषणा करनी होगी। ,

(2) ऐसी घोषणा किए जाने के बाद एक उम्मीदवार या, उसकी अनुपस्थिति (मतगणना) में एजेंट निर्वाचन ऑफिसर (पंचायत) या उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी को पहले से गिने गए सभी या किसी भी मतपत्रों की पुनर्गणना के लिए लिखित में आवेदन कर सकता है, जिसमें यह बताया जा सकता है कि वह किस आधार पर पुनर्मतगणना की मांग करता है। .

(3) इस तरह के आवेदन पर व्याख्यान अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी मामले का फैसला करेगा और आवेदन को पूरी तरह से या आंशिक रूप से अनुमति दे सकता है या इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर सकता है यदि यह उसे तुच्छ या अनुचित प्रतीत होता है। .

(4) निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी का उपनियम (3) के अधीन प्रत्येक निर्णय लिखित रूप में होगा और उसमें उसका कारण निहित होगा।.

(5) यदि निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी, उप-नियम (3) के अधीन किसी आवेदन को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अनुमति देने का निर्णय लेता है, तो वह-

(a) अपने निर्णय के अनुसार मतपत्रों की फिर से गणना .करें। ;

(b) इस तरह की पुनर्मतगणना के बाद परिणाम पत्र में आवश्यक सीमा तक संशोधन करें ; और

(c) उनके द्वारा किए गए संशोधन की घोषणा करें।

(6) उप-नियम (एल) या उप-नियम (5) के तहत प्रत्येक उम्मीदवार के लिए डाले गए मतों की कुल संख्या घोषित होने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, इसे पूरा करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। परिणाम पत्र और पुनर्मतगणना के लिए किसी भी आवेदन पर उसके बाद विचार नहीं किया जाएगा। :

परन्तु इस उपनियम के अधीन कोई भी कदम . मतगणना पूरी होने पर तब तक नहीं उठाया जाएगा, जब तक कि उसके पूरा होने पर उपस्थित उम्मीदवारों और (मतगणना) एजेंटों . को उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने का यथोचित अवसर नहीं दिया जाता है।."

"70. परिणामों की घोषणा.-(1) निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)), करेगा__

(a) पंच के पद के लिए उम्मीदवार चुने जाने की घोषणा करें जिसने सबसे अधिक वैध वोट हासिल किए हैं और फॉर्म 18 में चुनाव की वापसी को प्रमाणित करें। इसी प्रकार सरपंच का परिणाम भी तत्काल घोषित किया जाएगा, लेकिन यदि सभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केंद्र हैं, तो सरपंच के पद के लिए परिणाम पत्रक उसी दिन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नामित पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता वाले मतदान केंद्र को भेजा जाएगा। फॉर्म 19 में परिणाम पत्रकों को संकलित करने के बाद सरपंच के रूप में चुने गए वैध वोटों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की घोषणा करें। पंच और सरपंच के कार्यालय के लिए परिणाम की घोषणा के उद्देश्य से, पीठासीन अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी माना जाएगा और सभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केंद्रों के मामले में; नामित पीठासीन अधिकारी को सरपंच के पद के लिए परिणाम की घोषणा के लिए निर्वाचन अधिकारी माना जाएगा .

(b) नियम 24 के खंड (ई) में निर्दिष्ट स्थान से पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के कार्यालयों के लिए परिणाम पत्र क्रमशः पंचायत समिति और ब्लॉक स्तर के लिए संबंधित निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त को भेजें:

(c) पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव के लिए, फॉर्म 16 में सभी परिणाम पत्रक संकलित करें और फॉर्म 20 तैयार करें और उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करें जिसे सबसे अधिक वैध वोट प्राप्त हुए हैं और फॉर्म 20 में चुनाव की वापसी को प्रमाणित करेंगे। ; और

(d) जिला परिषद के सदस्य के चुनाव के लिए, फॉर्म 17 में परिणाम पत्रक संकलित करें और फॉर्म 21 तैयार करें और उम्मीदवार, जिसे सबसे अधिक वैध वोट प्राप्त हुए, को निर्वाचित घोषित करें और फॉर्म 21 में चुनाव की वापसी को प्रमाणित करेंगे।.

(2) निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस नियम के तहत रिटर्न की हस्ताक्षरित प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) और राज्य निर्वाचन आयुक्त को भेजेंगे।.';

16. नियम के अवलोकन से पता चलता है कि घोषणा किए जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एक आवेदन सुनवाई योग्य होगा और इसके बाद, उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में मतगणना एजेंट निर्वाचन अधिकारी को लिखित में आवेदन कर सकता है। यह भी प्रावधान किया गया है कि मतगणना पूरी होने पर तब तक कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जब तक कि उपस्थित उम्मीदवारों और मतगणना एजेंटों को परिणाम से अवगत नहीं कराया जाता है। परिणाम को अधिसूचित करने से पहले, नियम 69 के उप नियम 2 के तहत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करने का उचित अवसर संबंधित उम्मीदवारों को विधिवत दिया गया है। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि परिणाम की घोषणा के बाद उनके द्वारा पुनर्मतगणना की मांग के लिए आवेदन दायर किया गया था। लेकिन

दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तथ्यों से, यह समझ में नहीं आता है कि परिणाम किस समय घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि परिणाम की घोषणा के बाद आवेदन दायर किया गया था, जिसके तहत परिसर में पुनर्मतगणना के लिए कहा गया है कि कुछ अनियमितताएं की गई हैं। इस प्रकार, नियम 69 के आधार पर, निर्वाचन अधिकारी सफल उम्मीदवार को अवसर देने के बाद इस आवेदन पर निर्णय लेने के लिए बाध्य था। इस दलील का कोई मतलब नहीं है कि हर कोई जा चुका है। प्रतिपादित सिद्धांत यह है कि परिणाम की घोषणा के बाद लेकिन उसे अधिसूचित करने से पहले, उप नियम 2 के तहत परिकल्पित अवसर उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए। नियम 69 में दिए गए परंतुक में इस अधिकार पर जोर दिया गया है। बेशक, निर्वाचन अधिकारी द्वारा उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस तथ्य की जांच नहीं की गई है और न ही इस प्रावधान, अर्थात पूर्वनिर्धारित नियम पर ट्रायल कोर्ट द्वारा चर्चा या उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए पुनर्मतगणना के अनुरोध को अस्वीकार करने में निर्वाचन अधिकारी का आदेश टिकाऊ नहीं है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 176 (4) (बी) के तहत परिकल्पित पुनर्मतगणना के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, नियमों के नियम 69 के साथ पढ़ा जाता है, याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध है। तथ्यों की समग्रता और रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि चुनाव याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

17. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिका स्वीकार की जाती है, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 23 अगस्त, 2001 के आदेश को रद्द किया जाता है, तदनुसार चुनाव याचिका की अनुमति दी जाती है। निर्वाचन अधिकारी को बहादुरगढ़ में आयोजित पंचायत समिति (वार्ड नंबर 1) के चुनाव के संबंध में डाले गए मतों की पुनर्गणना करने का निर्देश दिया जाता है। दोनों पक्षों को नोटिस दिए जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा पुनर्मतगणना की जाएगी और तदनुसार परिणाम घोषित किया जाएगा। पार्टियों को 18 अगस्त, 2003 को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष

उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है और निर्वाचन अधिकारी पुनर्मतगणना और परिणाम घोषित करने के लिए तदनुसार तारीख निर्धारित कर सकते हैं। यदि पूरी प्रक्रिया पक्षकारों की उपस्थिति की तारीख से एक महीने के भीतर अर्थात 18 अगस्त, 2003 को की जाती है और परिणाम कानून के अनुसार पूर्वनिर्धारित अवधि के भीतर घोषित किया जाता है तो इसकी सराहना की जाएगी।

R.N.R.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हिमांशु जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी